

## विचार बिन्दु

अपराधी मन संदेह का अड्डा है। -शेक्सपीयर

# क्या अमरीका की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि गर्भपात कराना संवैधानिक अधिकार नहीं है, उचित व वैध है?

अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 26.06.2022 के निर्णय से जो Thomas E Dobbs Vs Jackson Women's Health Organisation के केस में दिया है कि गर्भपात संवैधानिक अधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह निर्णय 6 : 3 के बहुमत से दिया है और इस प्रकार Roe vs. Wade (रो बनाम वेड) के निर्णय को जो लगभग 50 वर्षों पूर्व दिया गया था उसे पलट दिया। रो बनाम वेड के केस को पलटने के कारण गर्भवती महिलाओं के संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं दिनांक 26.06.2022 के अनुसार अब राज्य गर्भपात पर अपने-अपने कानून बना सकेंगे। उन राज्यों में गर्भपात हो सकेगा। दिनांक 26 जून 2022 के निर्णय की भर्त्सना सभी Right Activists], सामाजिक व यशस्वी लोगों ने की है। इनमें मुख्य हैं यू.ए. के वर्तमान राष्ट्रपति श्रवम Joe Biden लीडटी प्रेसीडेन्ट कमला हेरिस, पूर्व राष्ट्रपति बरक ओबामा, मिगल ओबामा, बर्नी सनडर्स, लीडटी जस्टीस, Justin Trudeau आदि हैं। अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हेरिस ने प्रजनन अधिकारों को जोरदार वकालत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निंदा की।

दिनांक 26.06.2022 का निर्णय मिसिसिपी कानून के तहत था, जिसने 15 सप्ताह से ऊपर के भ्रूण को गिराने से प्रतिबंधित किया था अपवाद Medical Emergency का था। बहुमत के उक्त निर्णय में कहा गया है कि संविधान गर्भपात को संवैधानिक नहीं मानता है। Justice Samuel Alito ने बहुमत का निर्णय लिखा है, इसके द्वारा फेडरल स्टेट्स के विवेक पर छोड़ दिया है कि चाहे तो गर्भपात को अनुमति दे अथवा उसे रगुलेट करे। तीन न्यायाधीशों ने जिन्होंने अल्पमत का निर्णय लिखा है तथा जो Liberal विचार धारा के हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं को गर्भपात करने के अधिकार से वंचित करना उनके समानता के अधिकारों को प्रभावित करता है। इस निर्णय के कारण अमरीका में ही नहीं आस्ट्रेलिया में भी बहुत विरोध हो रहा है।

भ्रूण को जान बूझकर नुकसान पहुंचाना भारत के कानून में धारा 312 आईपीसी में अपराध है, किन्तु यदि गर्भपात सदाभाविक हो और मां को जिन्दगी को बचाने के हेतु आवश्यक हो तो ऐसा संभव है। गर्भपात के विषय में Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 है इसके तहत यदि कोई डॉक्टर गर्भपात निर्धारित परिस्थितियों में कराने में सहयोग देता है तो उसे अनुमति है। यह धारा 312 आईपीसी के तहत डॉक्टर को Immunity देता है और धारा 312 आईपीसी के तहत अपराधी नहीं माना जा सकता है। गर्भपात कराने का अधिकार महिला को है, किन्तु यह अधिकार मेडिकल सलाह पर निर्भर और सीमित परिस्थितियों में तथा निर्धारित लिमिट तक है।

सन् 1971 के कानून के अनुसार गर्भपात को अनुमति 20 सप्ताह तक के भ्रूण के लिये है किन्तु 2021 के संशोधन अधिनियम के तहत यह सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी है। इसके अतिरिक्त इस सीमा बंधन भी समाप्त कर दिया गया है यदि भ्रूण मेडिकल बोर्ड की राय में Abnormalities से असाधारण रूप से चिकरा हुआ हो। एकल डॉक्टर के मेडिकल बोर्ड की राय को पूर्व में 12 सप्ताह थी अब 2021 के संशोधन के बाद दो डॉक्टरों की राय आवश्यक है और लिमिट 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण की है। Substantial Fetal Abnormality होने पर 4 डॉक्टर्स के

बोर्ड की आवश्यकता जिसका अर्थ है बच्चा पैदा हो और वह असाधारण रूप से शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकृत हो। यदि रेप के कारण गर्भ धारण हुआ है महिला को उसके फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि गर्भवती को गम्भीर मानसिक व शारीरिक चोट लगी है। यदि हम मेडिकल टर्मोनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी (एम्पेण्डमेन्ट) रूप से 2021 को पढ़ें तो जानकारी होगी कि उसके द्वारा 24 सप्ताह तक के भ्रूण को गिराया जा सकता है तथा यह दर्शाया गया है कि वे Specified कारण क्या क्या हैं जैसे रेप से चोटिल पर बची हुये महिला तथा रेप

जिसका हुआ है उसका अल्पवयस्क होना आदि।  
वस्तुतः 1973 में यू.एस. की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि गर्भवती महिलाओं को गर्भपात से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार है। 1781 का संविधान गर्भपात के विषय में मौन है, किन्तु 1868 का संविधान संशोधन गर्भपात को अनुमति देता है, इसके व न्यायपालिका के निर्णयों के अनुसार सरकार को गर्भावस्था के तीन माह में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, किन्तु तीन माह बाद उसे गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि गर्भवती महिलाओं को गर्भपात से जुड़ा फैसला लेने का अधिकार है, फलस्वरूप हास्पिटल को गर्भपात की सुविधा प्रदान करना बाध्यकारी हो गया। इसका कारण था कि 3 माह बाद प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे दिया, क्योंकि उस समय तक भ्रूण में जीवन माना गया है।


विज्ञान के कारण सोच में परिवर्तन होते रहते हैं। भ्रूण में तीन माह बाद जीवन प्राप्त हो जाता है, यह 1973 में माना जाता था, किन्तु इस सदी के प्रारम्भ ही में विद्वानों (डॉक्टरों) ने यह मानना स्वीकार कर लिया है 3 माह से पूर्व भी भ्रूण में जीवन होता है और यह समय सीमा भी धीरे-धीरे घटती जा रही है फलस्वरूप यह कहा जा सकता है गर्भपात (भ्रूण हत्या) मानव हत्या है। भ्रूण एक प्राणी है उसे जीने का अधिकार है।

अमरीका में महिलाओं को प्रजनन का अधिकार संविधान ने दिया था, किन्तु डॉक्स बनाम जैकसन बीमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के केस ने यह अधिकार छीन लिया गया है। हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुये स्पर्मि शब्द के अर्थ में जीने का अधिकार माना है और वह भी गरिमामय जीने का अधिकार। इस प्रकार हम कह सकते हैं भ्रूण को गरिमा के साथ विकसित होने तथा जीने का अधिकार प्राप्त है अतः भ्रूण वध (गर्भपात), प्राणी (मानव) का वध है, हत्या है। गर्भपात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 312 के तहत अपराध है और एम.टी.पी. एक्ट 2021 एक स्पेशियल एक्ट है और इनमें सजा का प्रावधान है। यदि हम भ्रूण के गरिमामय जीने के अधिकार के साथ इस समस्या को समझने का प्रयत्न करें तो भ्रूण हत्या, मानव वध (हत्या) का अपराध है जो आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध है। एमटीपी एक्ट में जो अपवाद दिये हैं, उनके साथ धारा 302 को जोड़ सकते हैं। कहते हैं 'मार से भूत भागते हैं'। इससे डॉक्टर, नर्स, परिवार वाले सभी डरेंगे और भ्रूण हत्या के केस नहीं होंगे।

अमरीका और भारत की स्थिति भिन्न-भिन्न है। वहां जजेज चुने जाते हैं वे पार्टी स्तर पर होते हैं। हमारे यहां की जजिशरी पूर्ण स्वतंत्र है, और सेवा की शर्तों के साथ जो संविदा में दी है, उनकी नियुक्ति होती है। थोमस ई डॉक्स के केस में स्पष्ट किया है वे तीन अल्पमत के न्यायाधीश (MkWDV/jksa) के थे और महिलाओं को प्रजनन का अधिकार प्राप्त है, उससे उन्हें वंचित करने से उनके समानता के स्तर को खण्डित करता है और राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के अधिकार को कम आंकना होगा। यह धारणा भारत के न्यायालयों की है, अतः भारत थोमस ई डॉक्स के केस के बहुमत के 6 जजों के निर्णय से सहमत नहीं है। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 21 में घोषणा की है कि मानव को गरिमामय जीवन का अधिकार है अर्थात् कन्सेप्शन के कुछ समय बाद भ्रूण में जीवन प्रारम्भ हो जाता है और उसे भी जीने का अधिकार है। उसके इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता हॉ अपवाद है उसके जीवन को बचाने अथवा भ्रूण में गम्भीर विकृति होने पर मां की सुरक्षा के हेतु गर्भपात कराना आवश्यक हो।

-अतिथि सम्पादक,  
पानाचन्द्र जैन  
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

स्त्री रोग विभाग का आउटडोर बाहर एक मेज पर हाउस सर्जन बैठी है, अंदर चैम्बर में चीफ सर्जन। एक महिला आती है - बॉब कट बाल, टॉप और जींस पहने, उसके से चलते हुए हाउस सर्जन की मेज पर फाइल रख बिना किसी भूमिका के कहती है - अबोर्सन करवाना है। हाउस सर्जन फाइल देख पछुती है - आपने पति का नाम नहीं लिखा? अबोर्सन मुझे करवाना है, पति को नहीं - पलट कर जवाब। हाउस सर्जन पीरियड्स के बारे में पूछ कर लिखती है, फिर - अबोर्सन क्यों करवाना चाहती है? का जवाब - बच्चा नहीं चाहती इसलिए और क्यों। नहीं चाहती तो गर्भ धारण ही क्यों किया था? कौनसा चाह कर किया था, यह तो हो गया। फिर थोडा



डॉ. श्रीगोपाल कांबरा

झुंझलाते हुए बोली- आप मुझे चीफ सर्जन के पास ले चलेंगी, मैं उन्हीं के लिए आई हूँ।

■ 20 सप्ताह तक गर्भपात महिला का अधिकार है

महिला, चीफ को बताती है कि वह एक काल सेंटर में एक्जीक्यूटिव है, विवाह नहीं किया है, अपनी पसंद के लडके के साथ रह रही है। चूक से गर्भ ठहर गया है, अबोर्सन करवाना है। फाइल देख चीफ पछुती है - चूक हो गई तो अभी तक क्या कर रही थी? बीस सप्ताह हो गए जी, काम हो ऐसा है, समय ही नहीं मिला।

अभी भी दिक्कत है, अगर शनिवार को अबोर्सन कर दें तो सोमवार को आफिस चली जाय। उसे मालूम है 20 सप्ताह तक गर्भपात

महिला का अधिकार है। वह पहले भी करवा चुकी है, सब जानती है। चीफ उसे कानून विशेषज्ञ के पास भेज देती है। वे देख कर कहते हैं कि निरोध की असफलता से ठहरा गर्भ गिराना केवल विवाहित महिला में ही मान्य है। वह बहस करती है तो कानून पढा देते हैं। वह जाती है, पति का नाम लिख दूसरी फाइल बनवाती है और कानून विशेषज्ञ को आ कर बताती है कि चीफ सर्जन मान गई हैं।

अस्पताल ने नई सोनोग्राफी मशीन ली है जिससे श्री डाइमेंशनल वीडियोग्राफी हो सकती है। महिला उसकी लिखित में अनुमति देती है। अबोर्सन होता है, उसकी वीडियो ग्राफी होती है। ऑपरेशन के बाद चीफ सर्जन और सभी उसे देखने बैठते हैं।

स्क्रॉन पर नन्हें गर्भस्थ शिशु का चित्र उभरता है। हरकत करते नन्हें हाथ पांव, बंद पलकें, होंठ, नाकनकसा नीचे से औजार आता है, बच्चा बचने की कोशिश करता है और उसके बाद आता जाता औजार और छटपटाहट। चीफ कॉफी का प्याला रख वीडियो बंद करने को कहती है। कहती है उसने सैकड़ों अबोर्सन किये हैं, लेकिन इसमें क्या होता है वह देखा पहली बार है। जी खराब हो गया। वह तो अब गर्भपात कर ही नहीं पायेगी। कुछ सोच कर कहती है यह वीडियो उस महिला को भी दिखाना, कर रही थी यह उसका पहला अबोर्सन नहीं है, वह सब जानती है।

-डॉ. श्रीगोपाल कांबरा  
वरिष्ठ चिकित्सक, जयपुर

## राज्यपाल मिश्र ने पन्नालाल मेघवाल की पुस्तकों "लोकाभिव्यक्ति के आयाम एवं फोक डांसेज ऑफ राजस्थान" का विमोचन किया

उदयपुर, (कासं)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल द्वारा लिखित राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम (हिंदी) एवं दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान (अंग्रेजी) पुस्तकों का विमोचन किया।

पन्नालाल मेघवाल की राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम पुस्तक में राजस्थान के लोकनृत्यों, लोकगायन एवं लोकवादन को आकर्षक छायाचित्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। इसी पुस्तक का अंग्रेजी रूपतरण दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान पुस्तक प्रकाशित की गई है। पन्नालाल मेघवाल की हिंदी एवं अंग्रेजी की इन पुस्तकों में तेरहताली, घूमर, चरी, कालबिलियां, चिकरा



पुस्तकों का विमोचन करते राज्यपाल कलराज मिश्र।

भवाई, जसनाथी, धाकड़, गौड, वीर तेजाजी, कच्छी घोड़ी, कथौड़ी, भील, गरासिया, गैर, चंग, बम, डोल एवं

शूकर लोकनृत्य सम्मिलित हैं। इन पुस्तकों में मांड, मांगणियार एवं लांगूरिया गायन, तुरां कलंगी,

■ पुस्तकों में लोक नृत्य, गायन, वादन, व वाद्य यंत्रों को चित्रों के माध्यम से संकलित किया गया है

कुचामणि ख्याल एवं गवरी लोकनाट्य, सहरीय एवं दुंदिया स्वांग, बीकानेर की रम्पटें, राजस्थान की नट परंपरा, कठपुतली नृत्य कला एवं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों का विचद उल्लेख है। पुस्तक के लेखक पन्नालाल मेघवाल ने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मानित लोक कलाकारों, लोक गायकों, से उनके घर, आंगन, चौपाल

एवं गांव में उनके साथ बैठकर उनसे साक्षात्कार कर इन पुस्तकों का लेखन किया है। इन पुस्तकों में लोक नृत्य, लोक गायन, लोक वादन एवं लोक वाद्य यंत्रों के मनमोहक चित्रों के माध्यम से संकलित किया है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का दिग्दर्शन कराती ये दोनों पुस्तकें राजस्थान की कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में मील का पथर साबित होंगी। इस अवसर पर वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव (व्यय) वी.सी. बुनकर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक अरुण जोशी, संयुक्त निदेशक राजेश व्यास, सहायक निदेशक विवेक जादोन एवं डीआईपीआर के निजी सचिव रवि पारीक उपस्थित थे।

## बेटी कृतिका बनीं फ्लाईंग ऑफिसर, पापा-मम्मी बोले "छू लिया आसमान!"

पिलानी, (निर्सं)। वायुसेना में फ्लाईंग ऑफिसर के पद पर ज्वाइन करके झुंझुनू के कुलहरियों का बास की बेटी कृतिका कुलहरि ने साबित किया है कि बेटियां किसी मायने में कम नहीं हैं। कुलहरि परिवार के दो बेटे जहां नेवी से रिटायर होकर देश सेवा करके आ गए हैं। तो वहीं दो बेटियां थल सेना और वायु सेना में अपनी सेवाएं देकर पूरे गांव को ही नहीं, बल्कि क्षेत्र को गौरवान्वित कर रही हैं।

फ्लाईंग ऑफिसर बनने के बाद पहली बार गांव आई कृतिका का डीजे बजाकर खुली जीप

में घर तक ले जाकर किया गया। कृतिका ने एनसीसी के तहत भारतीय थल सेना में भी एंट्री की। उन्होंने एनसीसी के तहत हुई चयन प्रक्रिया में पूरे इंडिया में पहला स्थान प्राप्त किया और सेना में शामिल होकर ट्रेनिंग करने चैन्नई चली गईं। दो महीने बाद ही जब उसका चयन वायु सेना में हुआ तो उसने थल सेना से वायु सेना की ओर मुच कर दिया। इससे पहले कृतिका ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से क्लिनिकल साइकोलॉजी से पीजी करने के बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज

(एनआईएमएचएनएस) में 6 महीने की सर्विस भी की। कृतिका इस उपलब्धि पर सबसे ज्यादा खुशी उनके पिता रामावतार कुलहरि तथा उनकी मां डॉ. विजय लक्ष्मी कुलहरि को हुई। कृतिका के गांव पहुंचने पर महिलाओं ने डीजे के सामने दुमके लगाए तो गांव के मंदिरों में सबसे पहले कृतिका ने ढोक लगाकर भगवान को शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद स्थित भारतीय वायु सेना अकादमी इंडीगल में संयुक्त स्नातक परेड (सीजीपी) के अंतर्गत ग्राउंड इट्टी ब्रांच में प्रथम पुरस्कार रूप में

प्रेसिडेंट्स प्लैक अवार्ड से भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के हाथों सम्मानित होकर कृतिका को खुशी मिली थी। कृतिका ने ट्रेनिंग में भी अपना बेस्ट देकर अवार्ड प्राप्त किया है। रामावतार कुलहरि के मुताबिक कृतिका अपने गांव व पास पडोस के इलाके की वह प्रथम महिला है जिन्होंने वायु सेना में अधिकारी पद प्राप्त किया है। कृतिका का भाई सोम्य कुलहरि फिलहाल देहरादून में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है।

## तिजारा का किला राजपूत एवं अफगान मिश्रित वास्तुशिल्प की नायाब विरासत

तिजारा का किला अलवर से 60 कि.मी. एवं तिजारा से 5 कि.मी. की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी के हरे भरे भूभाग पर स्थित है। 1826 ईस्वी में महाराजा बलवंतसिंह तिजारा के शासक बने। उन्होंने 1836 ईस्वी में तिजारा किले का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया और 1849 ईस्वी में किले का निर्माण पूरा हुआ। किले के निर्माण के लिए दिल्ली एवं काबुल के वास्तुकार बुलाए गए थे। किले के नीचे सरदारों के लिए अच्छे भवन और उद्यान लगावाये और अलाउद्दीन लोदी द्वारा बनाए गए कच्चे बांध को

■ राज्य सरकार ने इस किले को हेरिटेज होटल में तब्दील किया है

पक्का करवाया। यह किला अठारहवीं शताब्दी की राजपूत एवं अफगान मिश्रित वास्तु शिल्प की नायाब विरासत है। यह बांध दो पहाड़ियों को जोड़कर बनाया गया है। पूर्व दिशा वाली पहाड़ी को तलहटी में एक प्राकृतिक झरना है जो सूरजमुखी के नाम से विख्यात है। तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर एक गौमुख से अर्हनिश पानी की धारा गिरती रहती



पन्नालाल मेघवाल

है और धार्मिक पर्वों पर 20-25 कि.मी. से चलकर आए लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहां स्नान करते हैं। इसी पहाड़ी के ऊपर भूतहरि की गुफा है। पूर्व की पहाड़ी पर तीन भव्य इमारतें, हवा महल, जनाना महल और किला बने हुए हैं।

हवा महल की एक मंजिल तहखाने की तरह बनी है जो एक बड़ा पत्थर की बड़ी-बड़ी पट्टियां दीवार के साथ चूना दी गई है। मुख्य दरवाजे पर गणेशजी की प्रतिमा और चौखट पर आकर्षक बेलबूटे उत्कीर्ण हैं। इस दरवाजे के एक तरफ तीन और दूसरी तरफ चार सुंदर गवाक्ष हैं तथा दोनों तरफ घुड़साल बनी हुई है। दरवाजे के पास एक छोटा चौक है जिसके दोनों तरफ बरामदे हैं जिसमें कटावदार तीन- तीन दरवाजे और

और दो मीनारों में कमरे बने हुए हैं। चारों तरफ पांच-पांच दरवाजे और दरवाजों के ऊपर नक्काशीदार झरोखे बने हुए हैं।

हवा महल के ठीक सामने जनाना महल है। लाल पत्थर के मुख्य दरवाजे पर करीब पांच फीट चौड़ी और बारह फीट ऊंची पत्थर की पट्टियां दीवार में चिपकाकर मजबूती प्रदान की गई है। दरवाजे पर सुंदर बेलबूटे उत्कीर्ण हैं। दरवाजा पर करने पर एक बड़ा चौक आता है जिसके चारों तरफ दोहरे बरामदे बने हुए हैं। इनमें लाल पत्थर के नक्काशीदार सोलह-सोलह खंभे लगे हुए हैं। इस तीन मंजिल महल के दो कोनों में तहखाने और पश्चिम दिशा में बैठने का ऐसा सुरक्षित स्थान बना हुआ है जहां से तिजारा शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। जनाना महल से थोड़ा दूर किले के मजबूत दरवाजे पर लाल पत्थर की बड़ी-बड़ी पट्टियां दीवार के साथ चूना दी गई है। मुख्य दरवाजे पर गणेशजी की प्रतिमा और चौखट पर आकर्षक बेलबूटे उत्कीर्ण हैं। इस दरवाजे के एक तरफ तीन और दूसरी तरफ चार सुंदर गवाक्ष हैं तथा दोनों तरफ घुड़साल बनी हुई है। दरवाजे के पास एक छोटा चौक है जिसके दोनों तरफ बरामदे हैं जिसमें कटावदार तीन- तीन दरवाजे और



अंदर कमरे बने हुए हैं। इसे पार करने पर एक बड़ा चौक आता है। इस चौक में भी दोनों तरफ बरामदे और सामने बड़ा हाल है जिसमें खंभों पर नक्काशी का कार्य देखने योग्य है। तिजारा किले की स्थापत्य कला, शिल्पसौंदर्य और व्यूह रचना को देखकर इसकी मजबूती और विशालता का अनुमान हो जाता है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। राज्य सरकार की पुराने ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने की योजना के तहत इस किले को हेरिटेज होटल में तब्दील किया गया है। हवा महल और जनाना महल के लगभग सभी कक्षों को सुसज्जित कर हेरिटेज लुक दिया गया है। जनाना महल से कुछ ही दूरी पर हवा महल है, जिसमें मुख्य

डाइनिंग हॉल, स्वागत कक्ष आदि हैं। किले के बायीं ओर किले की सीमा के साथ-साथ प्रस्तर से उत्कर्ण लंबा बरामदा है, जो हवा महल तक जाता है। अलग-अलग बने सुंदर सीढ़ीदार लॉन्स इन सब भागों को जोड़ते हैं। हवा महल में एक विशाल प्रांगण है, जहां विवाहदि कार्यक्रम होते हैं। यहां का आम खास एवं बगीचा आकर्षण के केंद्र है। जनाना महल और हवा महल के बीच एक और डाइनिंग हॉल है, जिसकी छत से तिजारा कला, बांध भागों की हरियाली एवं चारों तरफ खेतों में लहलहाती फसलों का दृश्य सुहावना एवं मनोहारी होता है।

-पन्नालाल मेघवाल,  
वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार।

## राशिफल

शुक्रवार 8 जुलाई, 2022

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, नममी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2079, चित्रा नक्षत्र दिन 12:13 तक, शिव योग प्रातः 9:00 तक, बालव करण प्रातः 6:57 तक, चन्द्रमा तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मेघ, बुध-मिथुन, गुरु-मीन, शुक्र-वृष, शनि-कुम्भ, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में।

रविविद्योग दिन 12:13 से आरम्भ होगा। आज भडवला नममी है और गुप्त नवरात्रा व्रत पारण और नवरात्रोत्थापन, मन्वादि है।

श्रेष्ठ चौघड़ियां: चर सूर्योदय से 7:25 तक। लाभ-अमृत 7:25 से 10:50 तक, शुभ 12:32 से 2:14 तक, चर 5:38 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 7:20

**मेघ**  
परिवार में आपसी सहयोग बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-आंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**तुला**  
मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। परिवार में शुभ-आंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

**वृष**  
स्वास्थ्य में चल रही परेशानी दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

**वृश्चिक**  
धार्मिक-मांगलिक कार्यों के कारण बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

**मिथुन**  
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगे। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

**धनु**  
धार्मिक-मांगलिक कार्यों के कारण बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

**कर्क**  
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-आंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

**मकर**  
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

**सिंह**  
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-आंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

**कुंभ**  
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। शुभ कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशावास प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

**कन्या**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संपादित स्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगे।

**मीन**  
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। महत्वपूर्ण और कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।